



**सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस**  
**दिनांक – 20.03.2024**

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 05 अभियोगों में 06 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –**

**प्रकरण प्रथम** – थाना कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 98/2023 (वाद संख्या – 7/2023) धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम प्रशान्त पुत्र अवधेश सिंह निवासी ग्राम गराही थाना कदौरा जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण प्रशान्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये 13 माह का कारावास एवं 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण द्वितीय** – कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 114/2005 (वाद संख्या – 648/2005) धारा 279/304ए/427 भादवि बनाम श्याम सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम पटेल नगर उरई कोत0 उरई जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जेएम जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त श्याम सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण तृतीय** – थाना गोहन में मु0अ0सं0 51/2021 (वाद संख्या – 275/2021) धारा 279/337/338/427 भादवि बनाम महेश कुमार कुशवाहा पुत्र बाबूलाल कुशवाहा निवासी प्रथ्वीपुर, टीकमगढ़ (म0प्र0) के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जेएम जालौन, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त महेश कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण चतुर्थ** – कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 116/2002 (वाद संख्या – 381/2002) धारा 279/337/338 भादवि बनाम रामप्रकाश पुत्र रामकिशुन निवासी मो0 फर्दनवीश कोत0 जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जेएम जालौन, जनपद जालौन द्वारा रामप्रकाश उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**प्रकरण पंचम** – कोत0 जालौन में मु0अ0सं0 155/2001 (वाद संख्या – 353/2002) धारा 323/504 भादवि बनाम 1.पप्पू यादव पुत्र मुन्ना लाल 2.श्यामू उर्फ छोटे पुत्र रूपनारायन दुबे निवासीगण मो0 बालमभट्ट कोत0 जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय जेएम जालौन, जनपद जालौन द्वारा 1.पप्पू यादव 2.श्यामू उर्फ छोटे उपरोक्त को दोषी पाते हुये 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।